

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 03/प्र030-भवन/जोग-2/2014-15 दिनांक 19/09/2014

अनुमति-पत्र




यह अनुमति 1990 नगर निर्माण तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थात् यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस नक व्यवसायिक भवन मानचित्र सौंपा गया है उसी पर कोई अन्तर या किसी स्थानीय नियम या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म को मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अन्तर प्लेगिंग अर्थात् यह अनुमति किसी को मिलानेका वा स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री आशीष सिंह, श्री हर्ष सिंह पुत्रगण 340 विनेश कुमार कृशवाहा द्वारा प्लॉट आफ नकान नं० 08/1 जूकरगंज, न्यूज पी होल्ड प्लॉट नं० 01, 02 व 24 जूकरगंज इलाहाबाद के जॉन संख्य (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक भवन मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र की स्वीकृति/निर्माण विनाशित प्रतिक्रिया के अर्जन प्रदान की जाती है।

1. प्लॉट नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 132 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णतः प्रमाण पर प्राप्त होने के परवाना ही उपयोग/अधेक्षण किया जायेगा. भवन निर्माण एवं विकास उपरोधि 2000 के सर्चिफे रूल्स-21.8 एवं 31.8 में बौद्धिक प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनतिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को तर्ज पूर्ण करने के परवाना विहित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही हर परिसर को नगरविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा. जिसमें ड्रिफ्टिंग/इन्टीग्रेस के कर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 02 झा लगाया होगा तथा वृक्षों को हटा-गिरा करने का दायित्व अर्थदाता का होगा।
5. स्थल का अधिभाग/उपभाग स्थोला प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. अर्थदाता स्वयंसेवा के संश्लेष में नगर आयुक्त/नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के रूप में कोई देस्ता/प्रतिवेद्य आशेषित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुदान शपथकर्ता पर आशेषित होगा।
7. मानचित्र की स्वीकृति दुरुल एवं ज्वन कल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है, आवासीय ताल का निर्माण पूर्णतया नोबिद्ध होगा।
8. मानचित्र न्यायालय में कोई ग्राह होने अथवा उत्पन्न होने की रिक्ति में प्रस्ताव स्वीकृति मानचित्र न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। यह स्वीकृति दू-स्वामित्व या अधिकांश प्रदान नहीं करती है। दू स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद राजन न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरासित किया जा सकता है।
9. विभिन्न सामग पर जारी सातानादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आशेषित करता है तो उसे पदा के जना करना होगा।
10. यदि अर्थदाता द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना दिया है नहीं है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो प्लॉट नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यह स्वीकृति पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है।
12. नकान निर्माण से यदि गलती के सलक की पटरी अथवा चालक व नालों के किसी भाग (को नकान के आग भाग, पद या अथवा उसके आकार के कारण इक गई हो) को हानि पहुंचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 10 दिन के भीतर अथवा यदि विकार प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और भीड़ कदा हो पहले ही उसे जना करने से सम्बन्धित कसक पूर्वतः अवस्था से उसे विकास प्राधिकरण को सलक हो जग, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रहना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1968 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी अक्ट 1965) नियम 82 का एवलेक्षण किसी भी इसा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामल जारे गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हलक सकता है।
14. अर्थदाता को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को नकान की नैच ताल तथा छत ताल बन जाने एवं उसके पूर्व ही जाने की सूचना मकान आकार होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदर्श का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशन में नकान तैयार हुआ है।
15. यदि निर्माण में गलतव्र प्लान का इस्तेमाल होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत धारित कर सलक अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत अर्थदाता को नकान की जायेगी।

मानचित्र प्राप्त किया
 22/9/14
 9307779111

(सुधन श्रीवास्तव)
 प्राची अधिकारी (तपस 2)
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
 इलाहाबाद.



PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PART OF HOUSE NO. 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, 150/39, 150/40, 150/41, 150/42, 150/43, 150/44, 150/45, 150/46, 150/47, 150/48, 150/49, 150/50, 150/51, 150/52, 150/53, 150/54, 150/55, 150/56, 150/57, 150/58, 150/59, 150/60, 150/61, 150/62, 150/63, 150/64, 150/65, 150/66, 150/67, 150/68, 150/69, 150/70, 150/71, 150/72, 150/73, 150/74, 150/75, 150/76, 150/77, 150/78, 150/79, 150/80, 150/81, 150/82, 150/83, 150/84, 150/85, 150/86, 150/87, 150/88, 150/89, 150/90, 150/91, 150/92, 150/93, 150/94, 150/95, 150/96, 150/97, 150/98, 150/99, 150/100.

TOTAL AREA OF PLOT	206.22 SQ. MT.
TOTAL PLOT AREA BAZAR	69.00 SQ. M.
TOTAL PLOT AREA RESIDENTIAL	137.22 SQ. M.
TOTAL AREA OF PLOT	206.22 SQ. MT.
PROPOSED AREA ON G.F.	72.20 "
OPEN AREA ON G.F.	134.02 "
COVERED AREA ON G.F.	134.02 "
GROUND COVERAGE	65.46 %

BAZAR STREET
 TOTAL AREA OF PLOT 101.49 SQ. MT.
 PROPOSED AREA ON G.F. 50.45 "
 OPEN AREA ON G.F. 51.04 "
 COVERED AREA ON G.F. 51.04 "
 MULTI COVERAGE 50.98 %
 GROUND COVERAGE 50.00 %

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.
 1. DOOR D1 1000x2400
 2. DOOR D2 1000x2400
 3. WINDOW W1 1500x2000
 4. WINDOW W2 1500x2000
 5. WINDOW W3 1500x2000
 6. WINDOW W4 1500x2000
 7. WINDOW W5 1500x2000

THIS IS ACCORDING TO BUILDING MAP IS ACCORDING TO BUILDING MASTER'S PLAN 31021

P. S. B. SINGH
 ARCHT. & CIVIL ENGINEER
 30/2/2019
 150/2/2019